रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072020-220545
CG-DL-E-16072020-220545

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2020/ आषाढ़ 24, 1942
No. 347] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2020/ASADHA 24, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 451(अ).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 102 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) मॉडल नियम, 2020 है।

(2) ये 20 जुलाई, 2020 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं –** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) 'अधिनियम' से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) 'सदस्य' से जिला आयोग अथवा राज्य आयोग, जैसा भी मामला हो, का सदस्य अभिप्रेत है;

(ग) 'अध्यक्ष' से जिला आयोग अथवा राज्य आयोग, जैसा भी मामला हो, का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) 'राज्य सरकार' में नियम 13 के सिवाय संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक सम्मिलित है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

3. जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते- (1) अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्तों का हकदार होगा, जो किसी जिला न्यायाधीश को अतिकाल वेतनमान में अनुज्ञेय है।

(2) सदस्य, राज्य सरकार के किसी उप सचिव के वेतनमान के न्यूनतम स्तर के वेतन तथा उस अधिकारी को अनुज्ञेय अन्य भत्तों के बराबर वेतन प्राप्त करेगा।

(3) अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई ऐसा व्यक्ति, जो पेंशनभोगी है, के वेतन में उसके द्वारा आहरित पेंशन की सकल राशि की कटौती की जाएगी।

(4) अध्यक्ष और सदस्य के वेतन में 3% की दर से वार्षिक उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी।

4. राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते-(1) राज्य आयोग का अध्यक्ष, राज्य के उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश को अनुज्ञेय वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करेगा।

(2) राज्य आयोग का सदस्य, राज्य सरकार के अपर सचिव के वेतनमान के न्यूनतम स्तर के वेतन तथा उस अधिकारी को अनुमेय अन्य भत्तों के बराबर वेतन प्राप्त करेगा।

(3) अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई ऐसा व्यक्ति, जो पेंशनभोगी है, के वेतन में उसके द्वारा आहरित पेंशन की सकल राशि की कटौती की जाएगी।

(4) सदस्य के वेतन में 3% की दर से वार्षिक उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी।

5. चिकित्सक दृष्टया योग्यता- किसी भी व्यक्ति को तब तक अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए गए किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित नहीं किया जाता।

6. आकस्मिक रिक्ति - राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसा भी मामला हो, में अध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति के मामले में, राज्य सरकार को ज्येष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करने का अधिकार होगा।

7. मकान किराया भत्ता - अध्यक्ष अथवा सदस्य, तत्स्थानी प्रास्थिति के राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय दर के समान दर पर मकान किराया भत्ता का हकदार होगा।

8.परिवहन भत्ता — अध्यक्ष अथवा सदस्य, तत्स्थानी प्रास्थिति के राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय दर के समान दर पर परिवहन भत्ता का हकदार होगा।

9. छुट्टी और चिकित्सा उपचार तथा अस्पताल सुविधाएं – राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्य सरकार के समूह 'क' के सरकारी कर्मचारी पर लागू उपबंधों के अनुसार छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे।

10. वित्तीय एवं अन्य लाभों की घोषणा — अध्यक्ष अथवा सदस्य, अपना पद ग्रहण करने से पहले, अपनी आस्तियों, और अपने दायित्वों तथा वित्तीय और अन्य लाभों की घोषणा करेगा।

11. सेवा की अन्य शर्तें — (1) अध्यक्ष अथवा सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वहीं होगी जो तत्स्थानी प्रास्थिति के राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय है।

(2) अध्यक्ष अथवा सदस्य, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसा भी मामला हो, से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग में वकालत नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष अथवा सदस्य, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसा भी मामला हो, में इन क्षमताओं में कार्य करते समय किसी प्रकार का मध्यस्थता कार्य नहीं करेगा।

(4) राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसा भी मामला हो, का अध्यक्ष अथवा सदस्य उस तारीख से जिससे वे पद पर नहीं रह जाते हैं, दो वर्षों की अवधि तक किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन अथवा प्रशासन में अथवा उससे संबंधित किसी भी रोजगार को स्वीकार नहीं करेगा जो राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई पक्षकार रहा हो,

परंतु इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई बात, केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी कानूनी प्राधिकारी या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निगम अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में यथाविनिर्दिष्ट किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी नियोजन पर लागू नहीं होगी।

12. पद और गोपनीयता की शपथ — अध्यक्ष अथवा सदस्य नियुक्त किये जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप 1 में दी गई पद की शपथ तथा प्ररूप 2 में दी गई गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेगा तथा उन पर हस्ताक्षर करेगा।

13. वेतन, पारिश्रमिक और अन्य भत्तों की अदायगी राज्य सरकार की संचित निधि से और संघ राज्य क्षेत्र के मामले में भारत की संचित निधि से की जाएगी।

14. जिला आयोग और राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों में उनकी पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. जे-10/8/2018-सीपीयू]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

[नियम 12 देखें]

प्ररूप I

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए पद की शपथ का प्ररूप

मैं, क, ख , राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,/ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,..... का अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर के नाम में शपथ लेता हूं कि मैं अपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान और विवेकबुद्धि से राज्य आयोग/जिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा तथा किसी भय अथवा पक्षपात, राग अथवा द्वेष के बिना निर्णय दूंगा तथा मैं संविधान और देश की विधि की रक्षा करूंगा।

()

प्ररूप II

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

मैं, क,ख , राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,/ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,..... का अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर के नाम में शपथ लेता हूं कि मैं, अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए यथाअपेक्षित के सिवाय, मेरे विचाराधीन प्रस्तुत किए गए अथवा राज्य आयोग/जिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मुझे ज्ञात हुए, किसी मामले को किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा प्रकट नहीं करूंगा।

()

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2020

G.S.R. 451 (E).—In exercise of the powers conferred under proviso to sub-section (1) of section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Consumer Protection (Salary, allowances and conditions of service of President and Members of the State Commission and District Commission) Model Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the 20th day of July, 2020.

2. Definitions. --- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) 'Act' means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

(b) 'Member' means a Member of the District Commission or the State Commission, as the case may be;

(c) 'President' means the President of the District Commission or the State Commission, as the case may be;

(d) 'State Government' includes an administrator of a Union territory appointed under article 239 of the Constitution except in rule 13.

(2) The words and expressions used herein and not defined and defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Salaries and allowances payable to President and members of District Commission. – (1) The President shall be entitled to the salary and allowances as are admissible to a District Judge in the super time scale of pay.

(2) A Member shall receive a pay equal to the pay at the minimum of the scale of pay of a Deputy Secretary of the State Government and other allowances as admissible to such officer.

(3) The pay of a person appointed as President or member, who is in receipt of any pension, shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(4) There shall be an annual upward revision of the pay of the President and member at the rate of 3%.

4. Salaries and allowances payable to President and members of the State Commission.--- (1) President of the State Commission shall receive the salary and other allowances as are admissible to a sitting judge of the High Court of the State.

(2) A Member of the State Commission shall receive a pay equivalent to the pay at minimum of the scale of pay of an Additional Secretary of the State Government and other allowances as are admissible to such officer.

(3) The pay of a person appointed as President or member, who is in receipt of any pension, shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(4) There shall be an annual upward revision of the pay of a member at the rate of 3%.

5. Medical fitness.—No person shall be appointed as President or Member unless he is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf.

6. Casual vacancy.— In case of a casual vacancy in the office of President in the State Commission or District Commission, as the case may be, the State Government shall have the power to appoint the senior most Member to officiate as President.

7. House rent allowance.—The President or member shall be entitled to house rent allowance at the same rate as are admissible to Group 'A' Officer of the State Government of a corresponding status.

8. Transport allowance.—The President or member shall be entitled to transport allowance at the same rate as are admissible to Group 'A' Officer of the State Government of a corresponding status.

9. Leave and medical treatment and hospital facilities.—The President and members of the State Commission and the District Commission shall be entitled to leave, Leave Travel Concession, medical treatment and hospital facilities as per the provisions applicable to Group A Government servants in the State Government.

10. Declaration of Financial and other Interests.—The President or member shall, before entering upon his office, declare his assets, and his liabilities and financial and other interests.

11. Other conditions of service.—(1) The terms and conditions of service of the President or member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Group 'A' Officer of the State Government of a corresponding status.

(2) The President or member shall not practice before the National Commission, the State Commission or the District Commission after retirement from the service of the State Commission or the District Commission, as the case may be.

(3) The President or member shall not undertake any arbitration work while functioning in these capacities in the State Commission or the District Commission, as the case may be.

(4) The President or member of the State Commission or the District Commission, as the case may be, shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the State Commission or the District Commission:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

12. Oaths of office and secrecy.—Every person appointed to be the President or member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office in Form I and oath of secrecy in Form II annexed to these rules.

13. The salary, remuneration and other allowances shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government and in the case of the Union Territories, from the Consolidated Fund of India.

14. The terms and conditions of the service of the President and the members of the District Commission and the State Commission shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

[F.No.J-10/8/2018-CPU]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.

Annexure

[See Rule 12]

FORM I

Form of Oath of Office for the President and Member of the State Commission and District Commission

I, A. B., having been appointed as the President/ Member in the State Consumer Disputes Redressal Commission, ……../ District Consumer Disputes Redressal Commission, ……..do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the President/Member of the State Commission/District Commission to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of land.

()

FORM II

Form of Oath of Secrecy for the President and Member of the State Commission and District Commission

I, A. B., having been appointed as the President/Member of the State Consumer Disputes Redressal Commission, ……./ District Consumer Disputes Redressal Commission, …… do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as President/Member of the State Commission/District Commission except as may be required for the due discharge of my duties as the President/Member.

()

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.07.16 16:02:54 +05'30'